

मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1991 सत्र

विधायक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 22, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

विधायक कार्य सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य, बुरहानपुर के हजारों पावरलम बंद होने से बेरोजगारी की उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री प्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री मदन वर्मा, रायसिंह राठौर, सदस्य, खरोन जिले के कई क्षेत्रों में शासन द्वारा कपास की खरीदी न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री प्रकाश जैन, आरिफ अकील, इन्डजीत कमार, सदस्य, प्रदेश के पटवारियों के आन्दोलन से तहसील कर्गारियों का कार्य प्रभावित होने की ओर राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, बस्तर जिले की कुछ नदियों में प्रदूषण से बीमारी फैलने की ओर राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम कड़ईया व भैसाना में खसरे से कई लोगों की हुई मौतों की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) डा. गोविन्द सिंह, श्री जालम सिंह पटेल, श्री कांतिलाल भूरिया, सदस्य, दंतेवाड़ा में पदस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा आत्म हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री जालम सिंह पटेल, कांतिलाल भूरिया, रविन्द्र चौबे, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम नाहरकोला में प्रदूषित जल पीने से कई लोगों की हुई मृत्यु की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री माधव सिंह धुब, सदस्य, रायपुर जिले के सिहावा विधान सभा क्षेत्र के रिसांगांव बन क्षेत्र में बुझी की उत्कृष्ट कटाई की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री उदय प्रकाश मिश्र, सदस्य, शहडोल के मुख्य बाजार में हमले के अपराधी गिरफ्तार न हो पाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री अजमेर सिंह, सदस्य, भोपाल के निकट इन्स्युलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी में तालाबादी से श्रमिकों में बेरोजगारी की उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री प्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. धाविकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य -

(क) जिला छतरपुर विकासखण्ड बक्सवाहा के निकट पिटुवा क्वानाला पर लघु विकास (स्टाप डेम) बनाये जाने,

(ख) जिला छतरपुर ग्राम दिमरवा के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य -

(क) जिला दुर्ग विकासखण्ड बालोद के ग्राम संकरा दर्सीटोला में छोटे जलाशय होने के कारण गंगरेल बांध से नई नाली का निर्माण कराये जाने,

(ख) जिला दुर्ग ग्राम खटथुली में सड़क बनवाने एवं सड़क की मरम्मत करने बाबत,

(ग) जिला दुर्ग ग्राम परेंगुडा जलाशय में गंगरेल बांध का निर्माण किये जाने,

(घ) जिला दुर्ग, विकास खण्ड बालोद के ग्राम जुंगोरा से रानीतराई मार्ग का मरम्मत कराये जाने,

(च) जिला दुर्ग ग्राम विराई गोडी में सिंचाई सुविधा हेतु नाली का निर्माण कराये जाने,

(ज) जिला दुर्ग के ग्राम हथौद में सिंचाई हेतु सामूहिक नलकूप का निर्माण कराये जाने,

(झ) जिला दुर्ग के ग्राम गोडपाल में हैन्डपम्प लगाये जाने के संबंध में,

(त) जिला दुर्ग ग्राम गोडपाल में बांध का गहरीकरण कराये जाने.

- (थ) जिला दुर्ग ग्राम विराई गोडी में तालाब निर्माण कराये जाने,
- (द) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के अरोद नहर की नाली पर पुल व फाल बनाये जाने,
- (ध) जिला दुर्ग ग्राम नार से पाररास (बालोद) तक सड़क निर्माण,
- (म) जिला दुर्ग विकासखण्ड बालोद के हथोद में अपूर्ण सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
- (य) जिला दुर्ग ग्राम मुलेंगुडा में सिंचाई हेतु शासकीय द्यूबवेल खनन् करवाये जाने,
- (र) जिला दुर्ग ग्राम परेंगुडा में शासकीय नलकूप खनन् किये जाने,
- (व) जिला दुर्ग ग्राम भटिया में नलकूप ढारा सिंचाई बाबत,
- (श) जिला दुर्ग ग्राम भोथली में शासकीय नलकूप लगवाने के संबंध में, एवं
- (स) जिला दुर्ग ग्राम परेंगुडा में पक्की सड़क बनाये जाने,
- के संबंध में याचिकाये प्रस्तुत करें।

निर्धारित
समय
उठ मि.

प्रदेश में सड़कों की जर्जर दशा, नियमानुसार रखरखाव न होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होने तथा प्रदेश का विकास अवरुद्ध होने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

4. नियम 142-के अधीन अल्पकालीन चर्चा

30 मि.

(1) सर्वश्री मदनलाल त्यागी, अशोक शुक्ला, जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

"सदन का यह मत है कि राज्य में सेवारत् विभागाध्यक्षों एवं आई.ए.एस. आधिकारियों तथा लोक पद धारण करने वाले अशासकीय व्यक्तियों का संपर्क विवरण प्रतिवर्ष पटल पर रखा जावे।"

(2) ठा. दरबार सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

15 मि.

"सदन का यह मत है कि आदिवासी बहुत्य एवं अविकसित जिले के सर्वांगीण विकास हेतु जबलपुर से मण्डला, कवर्धा, राजनांदगांव चौकी, मोहला, मानपुर होते हुए महाराष्ट्र के चांदा तक रेल लाईन बिछाने हेतु भारत शासन से अनुरोध किया जाये।"

(3) श्री सुरेश सेठ, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

15 मि.

"सदन का यह मत है कि हरिजन समाज को आंतरिक शोषण से मुक्त करने के निमित्त परंपरागत जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाये।"

(4) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

15 मि.

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश शासन बिलासपुर में ऐनवे के दसवे जोन का मुख्यालय स्थापित करने हेतु भारत शासन से सक्षम पहल करें।"

(5) श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

30 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिलों को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित किया जाये।"

(6) डा. रामजी मस्तकार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

15 मि.

"सदन का यह मत है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सभी श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने की दशा में विशेष नियुक्ति अभियान चलाया जाय तथा उक्त वर्ग का बेकलाग निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाये।"

(7) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

15 मि.

"सदन का यह मत है कि राज्य शासन ढारा विभिन्न योजनान्तर्गत बनाये जाने वाले स्टाप डेम "सालेड स्टाप डेम" (स्ट्रॉसगेट युक्त) के रूप में बनाये जावे।"

(8) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

15 मि.

"सदन का यह मत है कि खाद पर जो सबसिडी समाप्त की है उसे राज्य शासन बहन कर किसानों को तुरन्त पूर्व दरों पर खाद उपलब्ध कराये।"

6. नियम 52 के अधीन आजे घन्टे की चर्चा

दिनांक 24 जुलाई, 1991 को विधि मंत्री, से पूछे गये परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 241) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जगदम्बा प्रसाद निगम सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल

दिनांक 12 दिसम्बर, 1991

विश्वेन्द्र मेहता

सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा